

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 184
No. 216]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941	[N.C.T.D. No. 184

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

आदेश

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं. 04/2018-राज्य कर

दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2018

**फा. सं. 03(31)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/396.**— दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हुई हैं;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम**—इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है।
2. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
**“स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।”
2. यह आदेश दिसम्बर 31, 2018 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

**FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT  
ORDER**

Delhi, the 3rd September, 2019

**No. 4/2018-State Tax**

**THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2018**

**F. No. 3(31)/Fin(Rev-I)/2019-20/ DS-VI/396.**—WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. **Short title.**—This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2018.
2. In section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely: —  
**“Explanation:**—For the purposes of this sub-section, it is hereby declared that the due date for furnishing the said statement for the months of October, November and December, 2018 shall be the 31<sup>st</sup> January, 2019.”
2. This order shall come into force with effect from the 31<sup>st</sup> day of December, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)